



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271505
CG-DL-E-02042026-271505

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1621]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/ चैत्र 11, 1948

No. 1621]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/ CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1686(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-227 के कि.मी. 152.100 से शुरू होकर, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-227 के कि.मी. 162.600 में जोड़ने वाले उत्तरी जयनगर बाईपास एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-227 के कि.मी. 156.700 से शुरू होकर, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-227 के कि.मी. 164.950 में जोड़ने हेतु दक्षिणी जयनगर बाईपास उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) स्तम्भ (5) स्तम्भ (6) और स्तम्भ (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों, और ग्रामों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट खण्ड के संबंध में संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षमप्राधिकारी के कृत्यों को निष्पादन करने के लिए एतद द्वारा सक्षमप्राधिकारी, के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-227 के कि.मी. 152.100 से शुरू होकर, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-227 के कि.मी. 162.600 में जोड़ने वाले उत्तरी जयनगर बाईपास एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-227 के कि.मी. 156.700 से शुरू होकर, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-227 के कि.मी. 164.950 में जोड़ने वाले दक्षिणी जयनगर बाईपास के निर्माण हेतु भू-अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , मधुबनी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH227 के कि.मी 152.1 से कि.मी 164.95 तक	बिहार	मधुबनी	जयनगर	1 गाढा 2 रजौली 3 उसराही देवधा 4 भदौर 5 इनरवा 6 शिलानाथ दुलीपट्टी 7 जयनगर 8 पडवा 9 सिमराही 10 बेला बेलही

[फा. सं. RW/PAT/NH-227(old NH-104)/Norther and Southern Bypass/LA/2026]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1686(E).— In exercise of the powers Conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the Competent Authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to State, Districts, Taluka, and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said schedule for construction of proposed Northern Jainagar Bypass connecting the Existing NH.-227 on Km. 152.100 to NH.-227 on Km. 162.600 and Southern Jainagar Bypass connecting the Existing NH.-227 on Km.156.700 to NH.-227 on Km. 164.950 in the State of Bihar.

SCHEDULE

Land acquisition for construction of proposed Northern Jainagar Bypass connecting the Existing NH.-227 on Km. 152.100 to NH.-227 on Km. 162.600 and Southern Jainagar Bypass connecting the Existing NH.-227 on Km. 156.700 to NH.-227 on Km. 164.950 in the State of Bihar.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	DLAO, Madhubani	NH227 KM 152.1 TO KM 164.95	BIHAR	MADHUBANI	Jaynagar	1 Gaadha 2 Rajauli 3 Usrahi Deodha 4 Bhadaur 5 Inarwa

						6	Shilanath Dullipatti
						7	Jaynagar
						8	Padwa
						9	Simrarhi
						10	Bela Belhi

[F. No. RW/PAT/NH-227(old NH-104)/Norther and Southern Bypass/LA/2026]

SHAIKH AMINKHAN, Director